

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स,
लखनऊ।

विशय: पंजीकरण।

महोदय,

निवेदन है कि संस्था - यूपीईशा पता - 538/925 त्रिवेणी
नगर -2 सीतापुर रोड लखनऊ के पंजीकरण हेतु वांछित प्रपत्र स्मृति
पत्र, नियमावली, नोटरी शपथ पत्र व पंजीयन शुल्क रू0 2000/- नकद
जमा किया जा रहा है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन कर संस्था का
पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।
महान कृपा होगी।

दिनांक -

संलग्नक :

1. स्मृति पत्र
2. नियमावली
3. नोटरी शपथ पत्र
4. पते के प्रमाण
5. पंजीकरण शुल्क रू0 2000/- नगद

भवदीय

Mayank Awasthi

(मयंक अवस्थी)

अध्यक्ष

यूपीईशा

पता-538/925 त्रिवेणी

नगर -2 सीतापुर रोड

लखनऊ

स्मृति पत्र

- (1) संस्था का नाम :: यूपीईशा
(2) संस्था का पता :: 538/925 त्रिवेणी नगर -2 सीतापुर रोड
लखनऊ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
(4) संस्था के उद्देश्यः

- 1 स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध एवं आधुनिक प्रायोगिक अनुसंधान कार्य करना।
- 2 अनुसंधान हेतु सुविधाएं देना एवं ग्राइडेंस प्रदान करना।
- 3 स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं उसके लिए कार्य करना।
- 4 राज्य स्तर पर एवं राज्य सरकार को स्पीच लैंग्वेज ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में समिती का गठन कर तकनीकी सलाह शिक्षा, नीति निर्धारण, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित नियमों के अनुपालन एवं सफल कृत्यान्वयन हेतु तकनीकी सलाह, मार्गदर्शन देना।
- 5 स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में समय समय पर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक कार्यशाला अनुसंधान एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना।
- 6 राज्य स्तर पर एवं यथा संभव जिला स्तर पर स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में पुस्कालय की स्थापना जन सामान्य एवं क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए करना।
- 7 राष्ट्रीय स्तर पर बनाये गये विभिन्न प्रकार अधिनियमों, नीतियों जोकि स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी से संबंधित होने के प्रावधानों को राज्य में लागू करना एवं लागू करने हेतु प्रयास करना।
- 8 स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च जर्नल का पब्लिकेशन करना।
- 9 स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में समय समय पर, पुनर्वास प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, सभी स्टेक होल्डर्स, संबंधित विकलांग व्यक्ति एवं उनके अभिभावक के लिए सी0 आर0 ई0, जागरूकता, कार्यशाला सेमिनार इत्यादि का आयोजन करना।
- 10 उपरोक्त सभी कार्यों के निष्पादन हेतु समय समय पर जरूरत के सभी समान जिसमें की कार्यालय चल-अचल सम्पत्ती, फिक्स एसेट, भवन निर्माण इत्यादि के लिए वित्तीय अनुदान प्राप्त करना, उसको खर्च उद्देश्यों की पूर्ती के लिए बचत की व्यवस्था करना।
- 11 सभी सदस्यों, समाज के लोगों, सरकार से संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु दान, सहयोग, अनुदान प्राप्त करना।

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vineta Misra
(VINETA MISRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Payal
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita
ANKITA KUHARI.

Kamini
KAMINI RASTOGI

- 12 मेडिकल एवं एलाइड मेडिकल के व्यवसायकों से स्पीच लैंग्वेज ऑडियोलॉजी के क्षेत्र के विकास हेतु सहायता देना एवं लेना, समय अनुसार दूसरे प्रोफेशनल के संघों से समझौता ज्ञापन करना।
- 13 समय समय पर एग्जीबीशन का आयोजन कर स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्ध उपकरणों टूल्स, हियरिंग ऐड, उसके विभिन्न प्रकार के पार्ट्स इत्यादि को जन सामान्य हेतु डिस्प्ले करना।
- 14 समय समय पर एसोसिएशन के विभिन्न प्रकार के सब्सिडी नियम एवं रेगुलेशन को बनाना और एसोसिएशन के दिये गये प्रावधानों में संशोधन करना।
- 15 एसोसिएशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यों को करना।
- 16 स्पीच लैंग्वेज एवं ऑडियोलॉजी जो की व्यक्तिगत या किसी संस्था (सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा निजी क्षेत्र में हो) के लिए उसके कार्यक्षेत्र के लिए गाइडलाइन देना।
- 17 स्पीच, लैंग्वेज एवं हियरिंग की समस्या से पीड़ित हर बच्चे या बड़े के पुनर्वास हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
- 18 जन साधारण के हित, जागरुकता, एवं स्पीच लैंग्वेज हियरिंग के पुनर्वास हेतु समय समय पर जागरुकता शिविर आदि का आयोजन करना।
- 19 जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास करना।
- 20 स्पीच लैंग्वेज हियरिंग की समस्याओं और उनके कारणों की लोगों में चेतना करना एवं उससे बचाव एवं रोकथाम हेतु जागरुकता शिविरों एवं हर मुम्किन माध्यम से प्रयास करना।
- 21 शोर से हो रहे दुष्प्रभाव, इलाज एवं बचाव के बारे में समाज में चेतना फैलाना।
- 22 समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पृष्ठाहार एवं शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्था करना।
- 23 नैशनल ट्रस्ट ऐक्ट, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, आर० सी० आई० एवं राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये विभिन्न प्रकार के नियमों अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करना एवं सम्बन्धित विकलांग व्यक्तियों को उपरोक्त नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत लाभ दोहराना।

Mayank Awasthy
(MAYANK AWASTHI)

Vineet Mishra
(VINEET MISHRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Pachai Mukhi Ahuja
(PACHAI MUKHI AHUJA)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Kinjal Teyan

(6) प्रबंधकारी समित के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र. सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री मयंक अवस्थी पुत्र श्री डी० पी० अवस्थी	656/5/594(1) शीमल नगर कल्यानपुर, लखनऊ-226020	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री विनीत मिश्रा पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा	सी-626 ओमेक्स सिटी रायबरेली रोड लखनऊ	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्रीमती अकिता कुमारी पुत्री श्री डा० रतनेश कुमार	538/925 त्रिवेणी नगर-2 सीतापुर रोड लखनऊ	सचिव	समाजसेवा
4	नलिनी रस्तोगी श्री रजनी कान्त रस्तोगी	34/101, गौधर सहार स्टेट जानकी पुरम् लखनऊ	संयुक्त सचिव	समाजसेवा
5	श्री पायल मुखी दिलीप मुखी अहूजा	ए-23, निराला नगर, लखनऊ	कोशाध्यक्ष	समाजसेवा
6	श्री सुशान्त गुप्ता पुत्र श्री गिरीश गुप्ता	567 अनुभव एलिडको सेक्रेण्ड रायबरेली रोड लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री रंजीत रंजन पुत्र सुरेश प्रसाद	406 बी. हातारामदास, सदर, कैन्ट, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

6-हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृतिपत्र एवं नियमावली के नियमानुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21 सन 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया : _____

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vineet Mishra
(VINEET MISHRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Payal Mukhi Ahuja
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

15/11/2020
Rajesh Kumar

नियमावली

- (1) संस्था का नाम ::यूपीईशा
(2) संस्था का पता ::538/925 त्रिवेणी नगर -2 सीतापुर रोड
लखनऊ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

- i. सम्मानित सदस्य - स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और /या ऑडियोलॉजी एवं अन्य किसी विशेषज्ञता के व्यक्ति जिन्हो ने स्पीच, लैंग्वेज पैथोलॉजी के क्षेत्र के विकास, उच्च स्वर हेतु महात्वपूर्ण योगदान दिया हो ये सदस्य एसोसिएशन के कार्यों में सम्मिलित होंगे परन्तु वोट नहीं दे सकते एवं कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते।
- ii. आजीवन सदस्यता - जिसके पास स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र की डिग्री (बी0 ए0 एस0 एल0 पी0) किसी आर0 सी0 आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या वि विविद्यालय से हो एवं जिसने संस्था को निःशुल्क भाव से रु0 3000/-सदस्यता शुल्क दिया हो, वे व्यक्ति आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ये सदस्य एसोसिएशन के सभी कार्य में सम्मिलित होंगे एवं वोट भी करेंगे
- iii. सामान्य सदस्यता - जिसके पास बैचलर इन आडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की डिग्री किसी आर0 सी0 आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त हो एवं जिसने निःस्वार्थ भाव से संस्था को रु0 2000/-का सालाना सदस्यता शुल्क दिया हो वह व्यक्ति सामान्य सदस्यता प्राप्त कर सकता है। ये सदस्य एसोसिएशन के कार्यों में भाग ले सकते हैं परन्तु वोट देने एवं पद ग्रहण करने का हक नहीं रखते।
- iv. एसोसिएट सदस्यता - जो व्यक्ति मुख्यतः स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एवं ऑडियोलॉजी के क्षेत्र के नहीं है लेकिन सम्बन्धित क्षेत्र के /विशेषता के हैं एवं अपनी विशेषता में कम से कम स्नातक उत्पाधी करी हो वे सालाना सदस्यता शुल्क रु0 1000 देकर यह सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं ये सदस्ता केवल एसोसिएशन के कार्यों में भाग ले सकते हैं पर पद ग्रहण नहीं कर सकते एवं वोट नहीं कर सकते।

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vineet Mishra
(VINEET MISHRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Payal Mukhi Ahuja
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Pranav Kumar
PRANAV KUMAR

- v. छात्र सदस्यता — जो व्यक्ति स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एवं ऑडियोलॉजी में स्नातक उपाधी के छात्र है वे सालाना सदस्यता शुल्क (मात्र रु0 500) देकर यह सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ये सदस्यता सम्मिलन, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो सकते हैं एवं पेपर प्रजेन्ट कर सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते।

(5) सदस्य बनाना —

- i. आजीवन, सामान्य एवं असोसियेट सदस्ता हेतु, व्यक्ति को एसोसिएशन के सचिव से आवेदन पत्र प्राप्त कर, भर कर और सदस्यता भुल्क का डिमन्ड ड्राफ्ट, यूपीइशा के नाम से संलग्न कर, सचिव को भेजना होगा। आवेदक को किन्ही दो आजीवन सदस्य द्वारा नामान्कित स्वयं को करवाना होगा।
- ii. छात्र सदस्यता हेतु आवेदन पत्र, डिमन्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदक को बोनाफाइड सरटीफिकेट भी संलग्न करना होगा।
- iii. विशेष परिस्थिती में समिती के अनुमोदन पर या दो तिहाई EC के Vote होने आवश्यकता होने पर किया जा सकता है।
- iv. प्रबन्धकारिणी समिति, आवेदक की अहर्ता एवं श्रेणी को निर्धारित करेगी। एम्जिक्यूटिव काउन्सिल अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखेगा कि वह किसी भी आवेदक को सदस्यता देने से मना कर सकता है। इसमें एम्जिक्यूटिव काउन्सिल का निश्चय ही अंतिम माना जायेगा।
- v. सदस्यों का एसोसिएशन के कोड ऑफ एथिक्स का सदा पालन करना होगा।

- (6) सदस्य रजिस्टर — संस्था के रजिस्टर्ड ऑफिस में संयुक्त सचिव द्वारा रजिस्टर का रख रखाव किया जायेगा जिसमें सारे सदस्यों के नाम, अहरता/योग्यता एवं पता आदि दर्ज किया जाएगा एवं समय समय पर अपडेट किया जाएगा।

(7) सदस्यता की समाप्ती —

- i. सदस्यता का समापन स्वैच्छिक इस्तीफा देने से किया जा सकता है। सचिव द्वारा स्तीफा तभी स्वीकारा जाएगा जब सदस्य की कोई देय राशि बाकी न हो।

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vineet Misra
(VINEET MISRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Payal Mukhi Ahuja
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Harshit Rastogi
HARSHIT RASTOGI

- ii. एसोसिएशन की सदस्यता रद्द हो जाएगी यदि सदस्य ने नियत तारीख से छः माह तक भी सदस्यता राशि का भुगतान न किया।
- iii. यदि किसी सदस्य का बकाया बिना किसी जाएज वजह के एक साल से अधिक का हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव काउन्सिल को अधिकार है कि वह उसकी सदस्यता निलंबित कर दे। सदस्य को निलंबन के नोटिस से तीन महीने के अन्तराल में अपनी सदस्यता बनाये रखने के लिए एग्जीक्यूटिव काउन्सिल को अपील कर सकता है। यदि तीन महीने में कोई जवाब नहीं मिला तो सदस्यता रद्द मानी जाएगी। जेनरल बॉडी के तीन चौथाई वोटों द्वारा भी निलंबित सदस्य की सदस्यता रद्द हो सकती है।

iv. सदस्यता निम्न परिस्थिती में समाप्त हो जाएगी -

- 1 मृत्यु हो जाने पर।
- 2 पागल हो जाने पर।
- 3 संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
- 4 किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- 5 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
- 6 अविश्वास प्रस्ताव एवं त्याग पत्र पारित होने पर।
- 7 बिना सूचना दिये लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
- 8 यदि कोई सदस्य संस्था के कोड ऑफ एथिक्स का पालन नहीं करेगा।

(8) संस्थापक सदस्य -

- i. जिन सदस्यों के नाम एसोसिएशन के मेमोरंडम में दर्ज है जिस समय एसोसिएशन रजिस्टर हुई 2017 में, वे एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य माने जाएंगे। रजिस्टर्ड ऑफ सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रीय के समय पर एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों के नाम संलग्नक में दर्ज हैं।

(9) संस्था के अंग-

- (क) साधारण सभा
(ख) प्रबन्धकारी समिति

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vinod Mishra
(VINOD MISHRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Payal
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Robert Singh
ROBERT SINGH

(10) साधारण सभा ::

गठन - संस्था के आजीवन सदस्यों, सामान्य सदस्यों एवं सम्मानित सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें - साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है। इन बैठक का सभापति अध्यक्ष होगा।

सूचना अवधि - मानद सचिव, साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों तक भेजने के लिए जिम्मेदार होंगे।

गणपूर्ति - साधारण सभा के कुल आजीवन सदस्यों में से 30 प्रतिशत या कुल सदस्यों की गिनती कम से कम 25 होने पर उपस्थिती गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथी - साधारण सभा के अधिवेशन की तिथि समय एवं जगह प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य -

- 1 - प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
- 2 - संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
- 3 - संस्था के नियमों एवं विनियमों में संसोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

(11) गठन - एसोसिएशन का प्रबंधन, प्रबन्धकारिणी समिति के 09 सदस्यों द्वारा होगी। ये सदस्य ऑडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में शिक्षा प्राप्त, कम से कम पाँच साल से एसोसिएशन के सदस्य रहे होने चाहिए। साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष-एक उपाध्यक्ष-एक, सचिव-एक, संयुक्त सचिव-एक, कोषाध्यक्ष-एक सदस्य 4 होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 9 होगी। आवश्यकता अनुसार सदस्य संख्या बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है परन्तु न्यूनतम संख्या 7 व अधिकतम संख्या 21 तक ही जा सकती है।

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vineet Misra
(VINEET MISRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Payal Mukhi Ahuja
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Rajesh Rastogi
RAJESH RASTOGI

बैठक - प्रबन्धकारिणी कार्यकारी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति - कार्यकारी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति - कार्यकारी समिति के अंतर्गत जब कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से की जायेगी।

कार्यकारी समिति के सदस्यों का चयन - कार्यकारी समिति में अध्यक्ष का चयन सामान्य सभा द्वारा हर वर्ष किया जायेगा पिछले वर्ष रहा अध्यक्ष नये का उपाध्यक्ष होगा। सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन सामान्य सभा के कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमती से होगा। चुनाव के लिए नामांकन सचिव द्वारा एसोसिएट सन के पात्र सदस्यों का किया जाएगा। नामांकन सामान्य सभा के 2 महीने पहले शुरू होगा और एक महीने पहले बंद हो जाएगा। चुनाव में मतदान हाथ उठाकर या कागज पर दिया जाएगा। आकस्मिक रिक्त स्थान के चयन के लिए जब तक सामान्य सभा की वार्षिक बैठक न हो तब तक समिति के ही किसी सदस्य को कार्य भार दिया जाएगा।

समिति के सदस्यों का कार्यकाल - कार्यकारी समिति का कार्यकाल पाँच साल का होगा। एक बार रह चुके कार्यकारी समिति के सदस्य का पुनः चयन हो सकता है। एक सदस्य लगातार दस साल से अधिक कार्यकारी समिति में नहीं रह सकता। एक पूर्ण कार्यकाल के बाद पुनः समिति का सदस्य हो सकता है। कार्यकारी समिति की सदस्यता रद्द हो जाएगी यदि वह सदस्य एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त करता है या सामान्य सभा के 2/3 सदस्य यह निर्णय लें कि किसी कार्यकारी समिति के सदस्य की सदस्यता रद्द करी जाय।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

- 1- संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
- 2- संस्था का वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयार करना।

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vineet Misra
(VINEET MISRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Piyal Mukhi Ahuja
(PIYAL MUKHI AHUJA)

Ranjana Sen
RANJANA SEN

2- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार , केन्द्र सरकार , दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सरकारी अर्धसरकारी एवं प्राईवेट कार्यालयों एवं संस्थानों, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, सांसद निधि, विधायक निधि तथा अन्य किसी भी स्रोत से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

4- संस्था के लिए चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

5- संस्था की शाखाओं एवं उपसमितियों का गठन, मण्डल स्तर, जिला नगर, तहसील व ब्लाक स्तर पर करना, उनका कार्य निर्धारित करना एवं उन पर नियन्त्रण रखना।

(12). प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

- 1 - समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2 - बैठकों के लिए तिथि अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
- 3 - समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
- 4 - बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
- 5 - संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।
- 6 - अपनी अनुपस्थिति में अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को देना

उपाध्यक्ष ::

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना एवं उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सचिव

- 1 - संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
- 2 - संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
- 3 - बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
- 4 - सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना।
- 5 - कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
- 6 - संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
- 7 - बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
- 8 - संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
- 9 - प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- 10 - पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृत देना।
- 11 - राजकीय सहायता, अनुदान ऋण प्राप्त करना।
- 12 - संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति की रक्षा करना और उस पर नियन्त्रण रखना।

Mayank Alwasty
(MAYANK ALWASTHI)

Vineet Misra
(VINEET MISRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Payal Mukhi Anuja
(PAYAL MUKHI ANUJA)

Pratibha Mishra
PRATIBHA MISHRA

13- सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।

14- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, वेतनवृद्धि निलम्बन व बहाली करना।

15-समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अवश्यकतानुसार धन व्यय करना।

16 - संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।

17 - संस्था से सम्बन्धित समस्त बिल व बाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, संविदों आहरण पत्रों, नियुक्ति पत्रों, लेखों-विलेखों, बन्धक पत्रों, ऋण पत्रों डिमान्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।

18 - कुल 1500रु0 तक की राशि संस्था के लिए कार्य करने हेतु, कार्यकारी परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना निकाल सकता है।

19 - कार्यकारी समिति, प्रोफेशनल आचरण बनाने एवं ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फील्ड की उन्नति के लिए नियम बना सकती है।

20 - अध्यक्ष की सहमती से किसी कार्यकारी परिषद पदाधिकारी का कार्यभार किसी अन्य कार्यकारी परिषद को दे सकता है।

कोषाध्यक्ष ::

1 - आय-व्यय का लेखा-जोखा सखना।

2 - दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।

3- समिति के आकस्मिक कार्य हेतु 5000/- रुपये तक नकद रखना।

4 - संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

5 - सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

6 - कोई भी प्राप्त राशि को दस दिन के अन्दर खाते में जमा करना।

(13) संस्था का प्रबंधन -

संघ के मामलों का प्रबंधन एग्जीक्यूटिव काउन्सिल के नौ निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। मामलों का प्रबंधन हेतु निर्वाचित एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग में किया जाएगा।

Mayank Alasthi
(MAYANK ALASTHI)

Vineet Misra
(VINEET MISRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Payal
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Prasanna
Prasanna

(14) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संसोधन प्रक्रिया ::

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संसोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जाएगा।

(15) संस्था का कोष ::

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/ सहकारी बैंक/ शेड्यूल बैंक/ पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जाएगा जिसका संचालन (आहरण) सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

(16) संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जाएगा।

(17) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ::

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व सचिव पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

(18) संस्था के अभिलेख ::

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टॉक रजिस्टर।
4. एजेण्डा रजिस्टर।
5. कैश बुक आदि।

(19) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिप)

दिनांक :

हस्ताक्षर::

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vinod Mishra
(VINOD MISHRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)
Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita Kumari
ANKITA KUMARI

Payal
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Kamini
Kamini

गठन से सम्बन्धित कार्यवाही

आज दिनांक 20.10.2017 को एक बैठक का आयोजन किया जिसमें निम्न

व्यक्ति उपस्थित हुए उन्ही मेंसे अध्यक्ष पद पर श्री मयंक अवस्थी को मनोनीत किया गया और संस्था का नाम यूपीईशा पता - 538/925 त्रिवेणी नगर -2 सीतापुर रोड लखनऊ

क्र. सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	वसवसाय
1	श्री मयंक अवस्थी पुत्र श्री डी० पी० अवस्थी	656/5/594(1) शीमल नगर कल्यानपुर, लखनऊ-226020	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री विनीत मिश्रा पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा	सी-626 ओमेक्स सिटी रायबरेली रोड लखनऊ	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्रीमती अकिता कुमारी पुत्री श्री डा० रतनेश कुमार	538/925 त्रिवेणी नगर-2 सीतापुर रोड लखनऊ	सचिव	समाजसेवा
4	नलिनी रस्तोगी श्री रजनी कान्त रस्तोगी	34/101, गौधर सहार स्टेट जानकी पुरम् लखनऊ	संयुक्त सचिव	समाजसेवा
5	श्री पायल मुखी दिलीप मुखी-अहूजा	ए-23, निराला नगर, लखनऊ	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6	श्री सुशान्त गुप्ता पुत्र श्री गिरीश गुप्ता	567 अनुभव एल्डिको सेकेंड रायबरेली रोड लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री रंजीत रंजन पुत्र सुरेश प्रसाद	406 बी, हातारामदास, सदर, कैन्ट, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

6-हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृतिपत्र एवं नियमावली के नियमानुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21 सन 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया :

MayanK Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vineet Misra
(VINEET MISRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Ankita
ANKITA KUMARI

Payal
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ranjit Ranjan
(RANJIT RANJAN)

यूपीईशा पता - 538/925 त्रिवेणी नगर -2 सीतापुर रोड लखनऊ
के साधारण सभा की सूची वर्ष 2017-18

क्र. सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	सदस्यता के प्रकार	व्यवसाय
1	श्री मयंक अवस्थी पुत्र श्री डी० पी० अवस्थी	656/5/594(1) शीमल नगर कल्यानपुर, लखनऊ-226020	सामान्य सदस्य	समाजसेवा
2	श्री विनीत मिश्रा पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा	सी-626 ओमेक्स सिटी रायबरेली रोड लखनऊ	सामान्य सदस्य	समाजसेवा
3	श्रीमती अंकिता कुमारी पुत्री श्री डा० रतनेश कुमार	538/925 त्रिवेणी नगर-2 सीतापुर रोड लखनऊ	सामान्य सदस्य	समाजसेवा
4	नलिनी रस्तोगी श्री रजनी कान्त रस्तोगी	34/101, गौधर सहार स्टेट जानकी पुरम् लखनऊ	सामान्य सदस्य	समाजसेवा
5	श्री पायल मुखी दिलीप मुखी अहूजा	ए-23, निराला नगर, लखनऊ	सामान्य सदस्य	समाजसेवा
6	श्री सुशान्त गुप्ता पुत्र श्री गिरीश गुप्ता	567 अनुभव एल्लिको सेकेण्ड रायबरेली रोड लखनऊ	सामान्य सदस्य	समाजसेवा
7	श्री रंजीत रंजन पुत्र सुरेश प्रसाद	406 बी, हातारामदास, सदर, कैन्ट, लखनऊ	सामान्य सदस्य	समाजसेवा

Mayank Awasthi
(MAYANK AWASTHI)

Vineet Mishra
(VINEET MISHRA)

Nalini Rastogi
(NALINI RASTOGI)

Payal
(PAYAL MUKHI AHUJA)

Sushant Gupta
(SUSHANT GUPTA)

Ankita
ANKITA KUMARI

Pratibha
Pratibha